



वीर बहादुर सिंह पूर्वज्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर  
(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

वीर बहादुर सिंह पूर्वज्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर  
प्रवेश एवं अध्यापन नियमावली 2021

(वीर बहादुर सिंह पूर्वज्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर एवं सम्बद्ध समस्त  
महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुसार सत्र- 2021-22 से  
प्रवेश एवं मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश)



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

**विषय-वस्तु (Contents)**

क्र०स०	विषय एवं संबंधित शासनादेश	पृष्ठ संख्या
A.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020: संक्षिप्त विवरण	3
B.	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2021-2022 से लागू करने हेतु सामान्य विशा-निर्देश [पत्रांक: 1567/सत्र-3-2021-16(26)/2011टी.सी. दिनांक: 13/07/2021]	3-7
C.	नये पाठ्यक्रम की विशेषताएं पत्रांक: 438/सत्र-3-2021-16(26)/2011, दिनांक: 08/02/2021	8
D.	Choice Based Credit System (CBCS) [पत्रांक: 438/सत्र-3-2021-16(26)/2011, दिनांक: 08/02/2021]	9
E.	माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 05 जून, 2021 को संपन्न विद्या-परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पारित नियम के क्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2021-2022 से लागू करने हेतु सामान्य विशा-निर्देश: 1-6	10-11
7.	पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :-	11-16
a.	प्रवेश नियम एवं आरक्षण	11
b.	प्रवेश प्रक्रिया	11
c.	स्नातक प्रथम सेमेस्टर/ प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विषय-वर्ग/संकाय के लिए पूर्व पात्रता	11-12
d.	विषय चयन :-	12-17
	✓ मुख्य (Major) विषय का चयन	12
	✓ माइनर/इलेक्टिव विषय का चयन	12-14
	✓ कौशल विकास/रोजगार रोजगार-परक (Vocational/Skill Development Courses) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का चयन	14-17
	✓ सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) पाठ्यक्रमों का चयन	17
e.	निकास (Exit) एवं पुनः प्रवेश (Re-Entry) का प्रावधान	17-18
8.	संकाय एवं उपाधि पूर्ण करने की अवधि	18
9.	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु विषय-संयोजन :	18
	शैक्षणिक उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु नव गठित विभिन्न संकायों (Faculties) की सूची	18-22
10.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें	22-23
11.	परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था	23-24
12.	उपस्थिति का निर्धारण	24
13.	क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण	24-25
14.	ग्रेडिंग प्रणाली	25-26
15.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना	27



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

**A. राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020: एक संक्षिप्त परिचय**

भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन - पर्यावरण के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टार्गेट और लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त किए जा सकें। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21 वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक-मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21 वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि विद्यार्थियों का नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में 12 वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र को प्रथम वर्ष के लिए दो मुख्य (Major) विषयों के साथ एक संकाय का चुनाव करना होगा। इस चुनाव के लिए संकाय विशेष के सन्दर्भ में पूर्व-पात्रता (pre-requisites) की आवश्यकता होगी। दो प्रमुख विषयों के अलावा विद्यार्थियों को प्रत्येक सेमेस्टर में किसी भी अन्य संकाय के एक और मुख्य (Major) विषय का चुनाव करना होगा। इसके साथ ही एक गैरुण विषय (Minor Elective) किसी अन्य संकाय से एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (अपनी अभिलेखी के अनुसार) तथा एक अनिवार्य सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम (Co-Curricular) का चयन करना होगा। सनातक पाठ्यक्रमों का स्वरूप 2+1+1 पद्धति पर होगा, जहाँ 2 (मुख्य विषय) + 1 (वैकल्पिक मुख्य विषय) + 1 (अनिवार्य न्यूनतम व्यावसायिक पाठ्यक्रम) + 1 (अनिवार्य सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम) होगा।

**B. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अन्तर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2021-2022 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश:**

उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश संख्या: 1065/सतर-3-2021-16 (26)/2011 दिनोंक 20-04-2021 के तारीख में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृष्ठाओं के निराकरण हेतु निम्नवर्त स्पष्ट किया जाता है :

**1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus):** इसके अनुसार निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं:-

- 1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो

1 सन्दर्भ - (उत्तर प्रदेश विद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विस्तृत विवरण -बिन्दु-6 (पृष्ठ-3-4)



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स कितने-कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएं, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.1 सूच्य है कि विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकतर विषयों के केन्द्र में 70-80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान है तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढ़ाये जा रहे हैं।

2. क्षेत्र (Scope): इसके अनुसार निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं:-

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech., MCA etc.) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी०ए०एल०एल० बी०, बी०ए०स०सी०एल०एल०बी०, एल०एल०बी०, एल०एल०एम० इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी०ए०ड०, एम०ए०ड०, बी०पी०ए०ड०, एम०पी०ए०ड० इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन०ई०पी०- 2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme) का स्वरूप: इसके अनुसार निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं:-

3.1 के अनुसार पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme) का स्वरूप एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा- बी०ए०, बी०ए०स०सी०, बी०कॉम०, बी०ए०ड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०ए०स०सी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पी०ए०ड० डी० इत्यादि होगा।

3.2.1 के अनुसार संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 के अनुसार छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सतर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 15-06-2021 के अनुसार होगी। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा, किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.) की मिलेगी।

3.3.2 के अनुसार, एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

4. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी : इसके संबंध में सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी०ए०, बी०ए०स०सी० आदि) व बी०कॉम० में सी०बी०सी०ए० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होंगे।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी०बी०सी०ए० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होंगे।

*M. J. L.*



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

- 4.3 बी०ए०/बी०एस०सी०ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होंगे।
- 4.4 पी०एच०डी० कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022-23 से लागू होगी।

### 5. मुख्य (Major) विषय तथा माइनर (Minor) इलैक्ट्रिव पेपर चयन: इसके संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं :-

- 5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) होगा, जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- 5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- 5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 5.5 माइनर इलैक्ट्रिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- 5.6 माइनर इलैक्ट्रिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or other faculty) से लेना होगा। इसके लिये किसी भी pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.7 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्ट्रिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 5.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलैक्ट्रिव पेपर का चयन द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।
- 5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलैक्ट्रिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।
- 5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्ट्रिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पांचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्ट्रिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- 5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषय सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्ट्रिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- 5.12 माइनर इलैक्ट्रिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्ट्री में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।
- 5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्ट्रिव पेपर (4 क्रेडिट) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्ट्रिव कोर्स / पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्युत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्ट्रिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अलग से होंगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

*Manjinder*



**वीर बहादुर सिंह पूर्वज्ञल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

- 6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses) :** इसके संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं :-
- 6.1 कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Courses) के तहत स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स ( $3 \times 4 = 12$  क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।
- इस संदर्भ में उत्प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग-3 शासनादेश: (पत्रांक संख्या: 1969/सतर-3-2021, दिनांक: 18.08.2021, बिन्दु-1, पृष्ठ-1) के क्रम में निम्न निर्देश दिये गए हैं :
- 1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्धारित शासनादेश संख्या- 602/सतर-3-2021-08(35)/ 2020 दिनांक 22.02.2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाना अपेक्षित है।
  - 1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉल्टाईकिनक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करें।
  - 1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण/इन्टरनशिप के लिये शिक्षण संस्थान सम्बंधित विभागों से समन्वय करें।
  - 1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।
  - 1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टरनशिप के दौरान नियमानुसार मानदेश के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।
- 7. सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) :** इसके संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं :-
- 7.1 सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) के तहत स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छ : सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।
  - 7.3 हर सह-विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 8. शोध परियोजना (Research Project) :** इसके संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं :-
- 8.1 इसके अनुसार स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पाचवें से चारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में बढ़द शोध परियोजना करनी होगी। पी.जी.डी.आर में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री - पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।
  - 8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
  - 8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी / तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।



**वीर बहादुर सिंह पूर्वज्ञल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

**9. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :** इसके संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं :-

9.1 श्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में श्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्वि-वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रि-वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है। एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 48 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46 + 46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है, तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

- 9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।
- 9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के पूर्व निर्धारित आवश्यक शर्तें (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

**10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण :** इसके संबंध में निम्न विश्लेषण दिये गए हैं :-

- 10.1 क्रेडिट बेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अहिंत परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

**C. नये पाठ्यक्रम की विशेषताएँ<sup>2</sup> :**

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम समिति एवं विषय-विशेषज्ञों के साथ कई ऑनलाइन ओरियंटेशन प्रोग्राम किए गए, जिसमें सभी विषय विशेषज्ञों की जिज्ञासाओं एवं शक्तियों का समाधान किया गया। तत्क्रम में पाठ्यक्रम समितियों द्वारा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समाहित करते हुए एक समान सरचना पर तैयार किये गये हैं। इनकी मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं –

- ❖ लचीलापन लाना (व्यावहारिक सुगमतापूर्ण)
- ❖ स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों की योजना बनाना
- ❖ किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश निकास एवं पुनः प्रवेश लेने सम्बन्धी विकल्प
- ❖ बहुविषयक दृष्टिकोण
- ❖ विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की पुन सरचना करना क्रेडिट की हस्तांतरणीयता
- ❖ अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए.बी.ओ)
- ❖ नये पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आसानी से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश और निकास (Re Exit entry) कर सकें, छात्र एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में बिना किसी समस्या के आसानी से क्रेडिट ट्रांसफर के द्वारा स्थानांतरित होकर अपनी डिग्री ले सकेंगे।
- ❖ विद्यार्थी बहु-विषयक, मेजर एवं माइनर विषयों के साथ-साथ ऐच्छिक एवं अनिवार्य विषय का अध्ययन करेंगे।
- ❖ सभी विषयों की पहली यूनिट में पहला पाठ संबंधित विषय की भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित रेखा गया है।



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

- ❖ विद्यार्थियों को मुख्य विषय के साथ - साथ, रोजगार-परक पाठ्यक्रम तथा कठिपय अनिवार्य विषय यथा मानवीय मूल्य एवं सतत विकास (Human Values and Sustainable Development), स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, डिजिटल जागरूकता, व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किल्स का भी अध्ययन करना होगा ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके तथा उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो।
- ❖ नए पाठ्यक्रम में गैर-प्रायोगिक (Non-Practical) विषयों में भी व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रैक्टिकल जोड़ा गया है, जैसे भाषाओं के पाठ्यक्रम में अनुवाद, रूपान्तरण, स्क्रिप्ट राइटिंग, फोनिक्स, अनुवाद, लैंग्वेज लैब आदि का समावेश किया गया है।
- ❖ स्नातक प्रथम वर्ष से ही शोध को बढ़ावा देने के लिए सभी विषयों के प्रथम वर्ष में रिसर्च ओरियेंटेशन को जोड़ा गया है तथा स्नातक तृतीय वर्ष में रिसर्च प्रोजेक्ट को भी जोड़ा गया है। अपनी भाषा में शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए शोध कार्य से सबधित भाग में ध्वेरी एवं प्रैक्टिकल को समान महत्व दिया गया है।

### D. Choice Based Credit System (CBCS)<sup>3</sup>

- ❖ च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के अन्तर्गत स्नातक कार्यक्रम के पहले तीन वर्षों में 06 सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने हैं, जो प्रत्येक 02 क्रेडिट के होंगे। यह पाठ्यक्रम सभी स्नातक के छात्रों के लिए उपलब्ध एवं अनिवार्य होंगे।
- ❖ एक सेमेस्टर में कम से कम 15 सप्ताह होंगे, जिसमें कम से कम 90 शिक्षण दिवस होंगे।
- ❖ एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घण्टे के व्याख्यान (प्रायोगिक कार्य के लिए 2 घण्टे) के बराबर है, यथा - चार क्रेडिट का पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर में कुल 60 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा।
- ❖ प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत होगा, जैसा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा तय किया जायेगा।
- ❖ साधारणतया पेपर उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक होंगे तथा वर्षापरियान्त उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट होंगे। जैसे कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम 46 क्रेडिट, दो वर्षीय डिप्लोमा के लिए न्यूनतम 92 क्रेडिट तथा स्नातक डिग्री के लिए 138 क्रेडिट अर्जित करने होंगे।
- ❖ कुल मूल्यांकन = 75 % बाह्य (विश्वविद्यालय परीक्षा द्वारा) + 25 % आन्तरिक (सतत मूल्यांकन)
- ❖ वर्ष के अंत में परिणाम मेजर, माइनर, वोकेशनल एवं को-करिकुलर सभी प्रकार के कोर्स पर अधारित होगा।
- ❖ सभी प्रकार के कोर्सेस को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा अंतिम परिणाम जो कि CGPA के रूप में होगा, सभी कोर्सेस में अर्जित ग्रेड्स पर निर्भर करेगा। किन्तु वर्ष के अंत में उपाधि हेतु कुल अर्जित क्रेडिट में कुछ क्रेडिट की छूट होगी।
- ❖ पाठ्य सामग्री हेतु मानक के संदर्भ में सभी कार्यक्रमों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) होगा। विश्वविद्यालयों में पाठ्य समितियों (Boards of Studies) को इस सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम 70 % के साथ अपना पाठ्यक्रम (Syllabus) विकसित करना होगा (अधिकतम की कोई सीमा नहीं है)।
- ❖ आगे आने वाले सेमेस्टर में प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम (Syllabus) उत्तरोत्तर जटिल एवं अनंत सम्भावना युक्त होना चाहिए। सभी सेमेस्टर में प्रश्न-पत्रों के शीर्षक व कार्यक्रम संरचना सभी कक्षाओं/वर्षों में, समस्त विश्वविद्यालयों में समान होगा। यह 2&3 सन्दर्भ-संलग्नक-1 (उत्तर प्रदेश शिक्षा अनुभाग शासनादेश: प्रक्रिया संख्या: 438/सतर-3-2021-16(26)/2011), दिनांक: 08.02.2021)

विस्तृत विवरण - बिन्दु-6 (पृष्ठ-3-4)



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के मध्य एकरूपता और सुचारू स्थानांतरण के लिए है। उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय को क्रेडिट के हस्तातरण की अनुमति अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए०बी०सी०) के माध्यम से दी जायेगी, जिसे प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने डाटा सेन्टर द्वारा प्रबंधित करेगा।

- E. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के अन्तर्गत वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2021-2022 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश :**

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्र-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्र-3-2021-16(26)/2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 तथा इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 05 जून, 2021 को संपन्न विद्या-परिषद की बैठक की गयी। कार्यवृत्त के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी तथा अन्य सम्बंधित विषयों विन्दुओं के सन्दर्भ में सामान्य दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भविष्य में इन दिशा-निर्देशों का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है।

1. वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर ये दिशा-निर्देश लागू होंगे तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों में इन सभी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
2. NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों से ही लागू होंगे। स्नातक/परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात् पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।
3. NEP-2020 के अन्तर्गत स्नातक स्तर के समस्त पाठ्यक्रम (बी०ए०, बी०एस०सी०, बी०कॉम०) में वर्तमान सत्र 2021-2022 से सी०बी०सी०ए० (CBCS), क्रेडिट (CREDIT) एवं ग्रेडिंग (GRADING) प्रणाली पर आधारित होंगे। (संदर्भ: उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रक संख्या: 1567/सत्र-3-2021-16(26)/2011 टी.सी.), दिनांक: 13.07.2021) विस्तृत विवरण -बिन्दु-4.1, पृष्ठ-2)
4. छात्रों का लक्षित आयु समूह 18-23 वर्ष है, लेकिन यह जीवन में किसी भी आयु में किसी भी आग्रही व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है। (संदर्भ : उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रक संख्या: 438/सत्र-3-2021-16(26)/2011, दिनांक: 08.02.2021) विस्तृत विवरण -बिन्दु-3, पृष्ठ-1)
5. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के आधार पर शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्नातक स्तर के समस्त विषयों के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (लिंक: <http://www.vbspu.ac.in/national-education-policy-2020-common-minimum-syllabus-for-all-u-p-state-universities/>)। कृपया केवल विश्वविद्यालय की

\*माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिन 05 जून, 2021 को संपन्न विद्या-परिषद की बैठक में सर्व सम्मति से पारित निर्णय के;



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

वेबसाइट से ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त विषयों के प्रमाणित पाठ्यक्रम ही मान्य होंगे।

6. वर्तमान में (पूर्व सत्र) स्नातक स्तर पर वार्षिक पढ़ति पर संचालित बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी०, बी०लिब० एवं अन्य का अध्यापन एवं परीक्षा पूर्ववत् वार्षिक पढ़ति पर ही होगा, जबकि वर्तमान सत्र (2021-22) में सेमेस्टर पढ़ति पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्यापन एवं परीक्षा सी०बी०एस० (CBCS) सेमेस्टर पढ़ति में ही होगा।

7. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :-

### a. प्रवेश नियम एवं आरक्षण

- ✓ विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय से पूर्व में अनुमोदित प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया (समय-समय पर पाठ्यक्रम नियामक प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गये शासनादेशों के अधीन) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- ✓ NEP-2020 से सम्बन्धित उच्च शिक्षा परिषद द्वारा निर्देशित यह नए नियम सत्र 2021-22 में स्नातक स्तर पर प्रवेशित छात्रों से ही लागू होंगे।
- ✓ स्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 तक प्रवेशित अथवा परास्नातक के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 तक प्रवेश लेने वाले छात्रों पर तथा वैसे पाठ्यक्रम जो 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के तहत चलेंगे, उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात् पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।
- ✓ विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्रवेश नियमावली तथा समय-समय पर केंद्र और उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश से संबन्धित जारी होने वाले शासनादेशों के साथ ही साथ प्रवेश के समय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न आरक्षण नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

### b. प्रवेश प्रक्रिया

- ✓ वर्तमान सत्र (2021-22) से विद्यार्थी सर्वप्रथम विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर अपने संकाय (Science/Arts/Commerce/Management etc.) का चुनाव अपने प्रवेश के समय उपलब्ध विकल्पों [जिसमें 2 (मुख्य विषय) + 1 (बैकल्पिक मुख्य विषय) + 1 (अनिवार्य न्यूनतम व्यावसायिक पाठ्यक्रम)+ 1 (अनिवार्य सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम)] के चयन से करेगा। अगले सत्र (2022-23) से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ही करेगा। संकाय और उसके अधीन आनेवाले विषयों की सूची हेतु [सनदर्भ - इस प्रवेश नियमावली के पृष्ठ 15 से 19- (मुख्य विषयों की सूची), पृष्ठ 13 (कौशल विकासारोजगार रोजगार-प्रक पाठ्यक्रम), एवं पृष्ठ 14 पर अकित अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों की सूची से करेगा।]
- ✓ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों एवं नियमों के आलोक में विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देंगे।
- c. स्नातक प्रथम सेमेस्टर/ प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विषय-बर्ग/संकाय के लिए पूर्व पात्रता
- ✓ विज्ञान बर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान बर्ग के अंतर्गत गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

- ✓ कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा; किन्तु यदि छात्र ने इंटरमीडिएट स्तर पर कला वर्ग के अंतर्गत अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय लिया है तो वह वाणिज्य संकाय के अंतर्गत भी प्रवेश प्राप्त करने योग्य होगा।
- ✓ वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- ✓ कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।
- ✓ व्यावसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र (eligible) होगा।

- d. विषय चयन :- स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षावार संरचना पृष्ठ 26 पर संलग्न है, जिसके परिणाम में मुख्य, माइनर/इलैक्टिव विषय, कौशल विकास/रोजगार रोजगार-परक एवं सह-विषय/कोर्स का चयन निम्नवत किया जाना है:
- मुख्य (Major) विषय का चयन:**
- ✓ राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के संदर्भ में सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/Commerce/Management etc.) का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश के समय (अगले सत्र 2022-23 से ऑनलाइन फॉर्म भरते समय करेगा) ही करेगा। संकाय और उसके अधीन आनेवाले विषयों की सूची इस प्रवेश नियमावली के पृष्ठ 15 से 19 पर मुख्य विषयों की सूची उपलब्ध है।
  - ✓ इसके पश्चात विद्यार्थी दिये गए विषय सूची से तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिसमें से दो मुख्य (Major) विषय उसके द्वारा चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।

**माइनर/इलैक्टिव विषय का चयन:**

- ✓ इसके उपरान्त विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर (प्रथम दो वर्ष हेतु) हेतु एक माइनर/इलैक्टिव विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा।
- ✓ माइनर/इलैक्टिव कोर्स किसी भी मुख्य विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। [सन्दर्भ – इस प्रवेश नियमावली के पृष्ठ 15 से 19- मुख्य विषयों की सूची से ही माइनर विषयों का चयन होगा]
- ✓ माइनर/इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। 6 क्रेडिट के प्रश्न-पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 90 घंटे की होंगी। इसी प्रकार 5 क्रेडिट के प्रश्न-पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 75 घंटे, 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 60 घंटे की होंगी।
- ✓ माइनर/इलैक्टिव प्रश्न पत्र छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty) से लेना होगा। परंतु, तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर/इलैक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो। यदि विद्यार्थी ने तीसरा मुख्य विषय अपने संकाय से लिया है, तो उसे माइनर/इलैक्टिव विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। दूसरी तरफ यदि विद्यार्थी ने तीसरा मुख्य विषय दूसरे संकाय से लिया है, तो उसे माइनर/इलैक्टिव विषय किसी अपने संकाय से लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसी भी पूर्व पात्रता (पूर्व में अध्ययन) की आवश्यकता नहीं होगी।



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

- ✓ माइनर विषय का सातक प्रथम सेमेस्टर के लिए चयन पात्रता के आधार पर किया जाना है। चूंकि यह पाठ्यक्रम दूसरे विभाग/संकाय से चयनित किया जाना है, अतः यह पाठ्यक्रम उस विभाग का नियमित पाठ्यक्रम ही होगा। उदाहरण स्वरूप - विज्ञान का छात्र विज्ञान संकाय से 03 मेजर कोर्स चयनित करने के बाद 01 माइनर कोर्स 'Indian Constitution', जो कला संकाय के राजनीति शास्त्र पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है अथवा 'मॉडर्न हिस्ट्री', जो कला संकाय के इतिहास पाठ्यक्रम/विभाग का विषय है, चयनित कर सकता है। वही छात्र यदि 03 मेजर कोर्स विज्ञान संकाय से चयनित करने के साथ 01 माइनर विषय अन्य संकाय के दूसरे विभाग से भी चयनित कर सकता है।
- ✓ बहुविषयक सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर/इलैक्टिव प्रश्न पत्र सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- ✓ स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।
- ✓ विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा।
- ✓ विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर/इलैक्टिव विषय आवंटित किया जायेगा।
- ✓ स्नातक पाठ्यक्रम में तृतीय, पांचवें एवं छठवें सेमेस्टर में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा। विद्यार्थी अपनी सुविधा से सभी अध्यवा विषय सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- ✓ माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा।
- ✓ चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।
- ✓ सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4/5/6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्युत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा।
- ✓ विद्यार्थी अपनी सुविधा से सब में उपलब्ध प्रश्न पत्रों में से कोई एक माइनर/इलैक्टिव प्रश्न पत्र के रूप में चुनाव कर सकता है।
- ✓ विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं (SWAYAM, NPTEL, MOOCs) से यूर्जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑलनाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। [संदर्भ: (उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रांक संख्या: 1065/सन्त-3-2021-16(26)/2011, दिनांक: 20.04.2021) विस्तृत विवरण - बिन्दु-4.10, पृष्ठ-3)]
- ✓ ऑनलाइन लिए जाने वाले कोर्स समान स्तर और क्रेडिट के होने चाहिये।
- ✓ ऑनलाइन विषय/कोर्स चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलैक्टिव विषयों पर ही लागू होगी, परंतु उपरोक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में पंजीकरण करने से पूर्व विद्यार्थी को अपने संबन्धित मूल विभाग के विभागाध्यक्ष/शिक्षक से इस संदर्भ में अनुमति लेना आवश्यक होगा।



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

- ✓ अंजित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ़ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात् वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- ✓ स्नातक स्तर पर विषयों के चयन में pre-requisite का विशेष रूप से ध्यान रखना है। छात्र मेजर या माइनर के साथ में वहीं विषय चयनित कर सकते हैं, जिसके लिए वह pre-requisite को qualify कर रहे हो।
- ✓ छात्र किसी पाठ्यक्रम के ऊन्हीं प्रश्नपत्रों को माइनर के रूप में चयनित करेगा, जिसका सापेक्षिक क्रेडिट 4/5/6 हो।
- ✓ प्रायोगिक विषयों के सन्दर्भ में छात्र को यह सुविधा प्राप्त होगी कि वह सम्बंधित विषय के मात्र सैद्धांतिक अंश का अध्ययन कर 04 क्रेडिट प्राप्त करें अथवा सैद्धांतिक के साथ Assignment लेकर का 05 केडिट प्राप्त करें अथवा सैद्धांतिक के साथ प्रायोगिक अंश का भी अध्ययन का 06 केडिट प्राप्त करें।
- ✓ छात्र को प्रतिवर्ष के क्रम में माइनर विषय चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी। उदाहरण के लिए - यदि छात्र स्नातक प्रथम सेमेस्टर में किसी विषय को माइनर के रूप में चयनित करता है, तो उसकी परीक्षा उमे प्रथम सेमेस्टर में ही देनी होगी; वह यदि प्रथम के स्थान द्वितीय सेमेस्टर में माइनर विषय चयनित करता है, तो उसे उसकी परीक्षा द्वितीय सेमेस्टर में देनी होगी। समान व्यवस्था द्वितीय वर्ष के लिए भी जारी रहेगी।
- ✓ छात्र यदि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में चयनित माइनर विषय की परीक्षा छोड़ देता है अथवा उसमें फेल हो जाने के बाद किसी दूसरे विषय को माइनर के रूप में लेना चाहता है, तो वह द्वितीय सेमेस्टर में ऐसा कर सकता है।
- ✓ प्रबेश प्रक्रिया के समय छात्र द्वारा इंटरवीडिएट के विषय वर्ग (यथा- कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, व्यावसायिक वर्ग) के साथ उसके द्वारा इन्टर में चयनित विषय (यथा- विज्ञान वर्ग के लिए विषय समूह गणित, भौतिकी, रसायन; 2- रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान ; 3- गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान इत्यादि) को ध्यान में रखते हुए मेजर/माइनर/इलेक्टिव विषय के चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

**कौशल विकास/रोजगार रोजगार-परक (Vocational/Skill Development Courses) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का चयन:**

- ✓ प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स/ रोजगार-परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ( $3 \times 4 = 12$  क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा। [संदर्भ: (उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रांक संख्या: 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी., दिनांक: 13.07.2021) विस्तृत विवरण - बिन्दु- 6.1, पृष्ठ-3)]
- ✓ कौशल-विकास/रोजगार-परक (Skill Development/Vocational Training) पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के स्तर पर उच्च-शिक्षा विभाग के पत्र संख्या 602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020 दिनांक: 22 फरवरी 2021 के अनुक्रम में कार्यवाही अपेक्षित है।
- ✓ कौशल-विकास/रोजगार-परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालय अपने स्तर पर उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त जिले के पौलिटेक्निक, आईटीआई अथवा अन्य समकक्ष राजकीय प्रशिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों अथवा से भी अनुबन्ध पत्र (MoU) हस्ताक्षरित कर सकते हैं।
- ✓ सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण/इन्टरनेशन के लिये शिक्षण संस्थान सम्बंधित विभागों से समन्वय करते हैं।
- ✓ MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।
- ✓ MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टरनेशन के दौरान नियमानुसार मानदेश के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।
- ✓ हस्ताक्षरित अनुबन्ध की एक प्रति अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को जमा करनी होगी।
- ✓



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

- ✓ शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र में निर्दिष्ट व्यवस्था के अतिरिक्त महाविद्यालयों से यह भी अपेक्षा है कि अपने परिसर में न्यूनतम एक विशेषज्ञता युक्त कौशल-विकास (Skill Development) का क्लस्टर (Cluster) विकसित करें और छात्रों को इसका व्यापक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अपने निकट के महाविद्यालय से कौशल-विकास के सम्बन्ध में MoU (अनुबंध पत्र) हस्ताक्षरित करें, जिसमें प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन की क्रियाविधि (Mode of Operation) स्पष्टता के साथ अंकित हो।
- ✓ चूंकि कौशल-विकास (Skill Development)/वोकेशनल प्रशिक्षण-कार्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है, अतः विश्वविद्यालय/महाविद्यालय इस सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन के आंकलन के उपरान्त कौशल विकास से सम्बंधित प्रशिक्षण का शुल्क-निर्धारण No-profit-no-loss के आधार पर अपने स्तर से करें।
- ✓ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय समय-सारणी में इन कोर्स को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सायं) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं।
- ✓ इस हेतु सीट निर्धारण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।
- परीक्षा
  - ✓ ध्योरी / समान्य भाग की परीक्षा ( 1 क्रेडिट ) विश्वविद्यालय / कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग / इंटरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी।
  - ✓ स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इंटरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं।
  - ✓ Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समार्तगत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।
  - ✓ विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका / डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।
  - ✓ इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय / कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं।

### पाठ्यक्रम

- ✓ विश्वविद्यालय / महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पैपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्रूत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा।
- ✓ पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेंट काउंसिल आदि के सहयोग से य०जी०सी०/एन०एस०क्य०एफ० आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।
- ✓ जिन ट्रेड में य०जी०सी०/एन०एस०क्य०एफ०/स्किल डेवलपमेंट काउंसिल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी, ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इंटरनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके।
- ✓ विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/ध्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इंटरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम०ओ०य० (MoU) की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा।
- ✓ समान्य/ध्योरी पाठ्यक्रम एक क्रेडिट - 15 घंटों का तथा स्किल का एक क्रेडिट - 30 घंटों का होगा, अर्थात् 3 क्रेडिट के पाठ्यक्रम में 15 घंट की ध्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इंटरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी।

*Majid*



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

**पाठ्यक्रम का प्रकार**

- ✓ पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं : Individual Nature - एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम एवं Progressive Nature - एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सके।
- ✓ विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे।

**क्रेडिट**

- ✓ रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टाफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।
- ✓ यद्यपि महाविद्यालय को स्थानीय आवश्यकता और कॉर्पोरेट-सेक्टर की मांग के अनुरूप कौशल-विकास प्रशिक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का निर्धारण अपने स्तर से करने की स्वतंत्रता है, तथापि सुविधा हेतु व्यावसायिक कार्यक्रमों की सन्दर्भ मूर्ची निम्नवत नियमानुसार दी जा रही है :

सेमेस्टर प्रणाली	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु (प्रत्येक सेमेस्टर में किसी एक का चयन करें)		स्नातक द्वितीय वर्ष हेतु (प्रत्येक सेमेस्टर में किसी एक का चयन करें)	
	प्रथम सेमेस्टर	द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर
	1. बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन 2. बागवानी	1. खाद्य प्रसंस्करण 2. मन्त्र्य पालन	1. बैसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2. ऊर्जा प्रबन्धन	1. मृदा एवं जल संरक्षण 2. पत्रकारिता एवं जनसंचार

- ✓ कौशल विकास/रोजगार रोजगार-परक (Vocational/Skill Development Courses) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की उपरोक्त मूर्ची के अतिरिक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिए कुछ और सन्दर्भ मूर्ची निम्नवत दी जा रही है- Fashion Designing, Tailoring and Embroidery, Photography and Videography, Financial Management, Information Technology, Yoga, Tourism & Hospitality, Multipurpose Health Worker (Female), Automobile, Carpentry, Electrician, Plumbing, Web designing, Bakery and Confectionery, Stenography (Hindi & English), Typewriting (Hindi and English), Accountancy and Auditing, Foreign Language, Event Management, Pottery, Banking and Finance, Beautician, Cookery, House Keeping, Disaster Management, Physical Fitness and Gym trainer, Handicraft, Jewelry Design, Marketing & Salesmanship, Legal Services Assistance, Interior Design and Decoration, Crop Production and Management, Dairying, Sericulture, Refrigeration & Air Conditioning, Hospital and Health Care Management, Clinical Biochemistry, Clinical Microbiology.



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

- ✓ कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सामान्यिक आधार पर आधे या एक दिन का प्रशिक्षण-कार्यक्रम संचालित करेंगे।
- ✓ कौशल-विकास/रोजगार-परक (Vocational) पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण विषय-वस्तु (Study/Training Course Content/Module) का निर्धारण विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय अपने स्तर से करते हुए उसे अध्ययन समिति के अनुमोदनार्थ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

**सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) :** इसके संबंध में निम्न दिशा-निर्देश दिये गए हैं :-

- ✓ इसके अतिरिक्त, सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) के तहत स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छ : सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा। [संदर्भ: (उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रांक संख्या: 1567/सत्र-3-2021-16(26)/2011टी.सी., दिनांक: 13.07.2021) विस्तृत विवरण - बिन्दु- 7.1, पृष्ठ- 4)]
- ✓ सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) की सूची [संदर्भ: (उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रांक संख्या: 1065/सत्र-3-2021-16(26)/2011, दिनांक: 20.04.2021) विस्तृत विवरण - पैरा-2, पृष्ठ-1)] पर उपलब्ध है।
- ✓ स्नातक स्तर पर अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम वर्ष के अनुसार निम्नवत होगा :-

अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम					
संदर्भ सेमेस्टरीली प्रणाली सेमेस्टर	1.	प्रथम सेमेस्टर	1.	भोजन, पोषण और स्वच्छता।	
	2.	द्वितीय सेमेस्टर	2.	प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य	
	3.	तृतीय सेमेस्टर	3.	शारीरिक शिक्षा और योग	
संदर्भ सेमेस्टरीली प्रणाली सेमेस्टर	4.	चतुर्थ सेमेस्टर	4.	मानव मूल्यों और पर्यावरण अध्ययन	
	5.	पंचम सेमेस्टर	5.	विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता	
	6.	षष्ठम सेमेस्टर	6.	संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास	

- ✓ प्रत्येक सह-विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। [संदर्भ: (उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रांक संख्या: 1567/सत्र-3-2021-16(26)/2011टी.सी., दिनांक: 13.07.2021) विस्तृत विवरण - बिन्दु- 7.3, पृष्ठ-4)]

### e. निकास (Exit) एवं पुनः प्रवेश (Re-Entry) का प्रावधान

- ✓ राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टिफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार-परक (Vocational/Skill Development Training Courses) प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- ✓ विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी।
- ✓ विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेंगे, किन्तु प्रवेश लेने पर उन्हें अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

- ✓ पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सतर्क सुविधा उपलब्ध होगी।
- ✓ क्रेडिट स्थानान्तरण (Credit Transfer) Academic Bank of Credits के तहत मान्य होंगा।
- ✓ प्रवेश, निकास एवं पुनःप्रवेश व्यवस्था के संबंध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जाएगी; महाविद्यालय अपने स्तर से कोई निर्णय नहीं लेंगे।

### 8. संकाय एवं उपाधि पूर्ण करने की अवधि :-

- ✓ विद्यार्थी जिस संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- ✓ यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एज्यूकेशन की उपाधि दी जायेगी तथा उन विषयों में स्नातकोन्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी। (सन्दर्भ - संलग्नक-1 (उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रांक संख्या: 1065/सत्र-3-2021-16(26)/2011), दिनांक: 20.04.2021) विस्तृत विवरण -बिन्दु-3 (पृष्ठ-3))

### 9. समस्त पाठ्यक्रमों हेतु विषय-संयोजन :-

- ✓ स्नातक प्रथम वर्ष/ प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषय चयन के सन्दर्भ में विषय-संयोजन (Subject Combination) की व्यवस्था पूर्वकर्त रहेगी।
- ✓ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के आलोक में उच्च-शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, बोर्ड ऑफ स्टडीज के माध्यम से स्वीकृत किया जा चुका है तथा उसका अनुमोदन विद्यापरिषद के द्वारा भी किया जा चुका है और सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लिंक: <http://www.vbspu.ac.in/national-education-policy-2020-common-minimum-syllabus-for-all-u-p-state-universities/>)।
- ✓ कृपया केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ही सम्बन्धित पाठ्यक्रम को डाउनलोड करें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध समस्त विषयों के प्रमाणित पाठ्यक्रम ही मान्य होंगे।
- ✓ प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों को निम्न संकायों में वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई अन्य एलाईड विषय आपके यहां संचालित है, तो उसको सम्बन्धित विषय के संकाय में माना जाये।
- ✓ अतः विषयी विषय के सम्बद्ध में मूल संचालनकर्ता विषय के संकाय को उस विषय का संकाय माना जाये। सूची में उपलब्ध विषयों के अतिरिक्त विषय की सूचना उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे उनके कोड का निर्धारण किया जा सके।
- ✓ पूर्व में कई विषय जैसे - गणित, अर्थशास्त्र भूगोल, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जैसे विषय बी०ए०/ बी०ए०स०सी० दोनों वर्ग के छात्रों के लिये उपलब्ध थे, जिस कारण से वे दोनों संकायों में गये थे। अतः इस संदर्भ में पूर्व में जारी व्यवस्था लागू रहेगी अर्थात् ऐसे विषय जैसे - गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, व्यावहारिक मनोविज्ञान, गृह-विज्ञान, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जो बी०ए०/ बी०ए०स०सी० दोनों में आते हैं, उनमें पूर्व की भाँति उपाधि प्रदान की जायेगी।
- ✓ नई व्यवस्था में छात्र को तीसरा मुख्य विषय लेने की छूट है, अतः कोई भी छात्र किसी भी संकाय के विषय का चुनाव कर सकता है। इसलिये किसी भी विषय को दो संकायों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

✓ नई व्यवस्था में निमानुसार सिर्फ विषयों को संकायों में वर्गीकृत किया गया है। अन्य प्रशासनिक एवं पाठ्यक्रम निर्धारण और अन्य व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

**A. Faculty of Language (भाषा संकाय)**

1. Arabic (अरबी)	10. Modern Indian Languages and Literary Studies (आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्यिक अध्ययन)
2. Communicative English (संचार अँग्रेजी)	11. Pali (पाली)
3. English (अँग्रेजी)	12. Prakrit (प्राकृत)
4. Farsi (फारसी)	13. Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ)
5. Foreign language (विदेशी भाषा)	14. Sanskrit (संस्कृत)
6. French (फ्रेंच)	15. Sindhi (सिंधी)
7. German (जर्मनी)	16. Tibbati (तिब्बती)
8. Hindi (हिन्दी)	17. Urdu (उर्दू)
9. Linguistics (भाषा विज्ञान)	

**B. Faculty of Arts, Humanities and Social sciences (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)**

1. Adult and Continuing Education (प्रौढ़, सतत एवं प्रसार शिक्षा)	15. Human Rights (मानवाधिकार)
2. Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति)	16. Indian history and culture (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
3. Anthropology (मानवशास्त्र)	17. Journalism (पत्रकारिता)
4. Archaeology and Musicology (पुरातत्व एवं संग्रहालय)	18. Journalism and Communication (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
5. Astrology (ज्योतिष विज्ञान)	19. Library & Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)
6. Defense and Strategic Studies (रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन)	20. Mass Media (संचार मीडिया)
7. Early Childhood care and Education (बाल्यकाल की आरम्भिक देखभाल एवं शिक्षा)	21. Media and communication (मीडिया एवं संचार)
8. Economics (अर्थशास्त्र)	22. Nutrition and Dietetics (पोषण एवं आहार विज्ञान)
9. Education (शिक्षा शास्त्र)	23. Philosophy (दर्शनशास्त्र)
10. Geography (भूगोल)	24. Physical Education (शारीरिक शिक्षा)
11. History (इतिहास) - Medieval and Modern History (मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास)	25. Political Science (राजनीति विज्ञान)
12. Home Science (गृह विज्ञान)	26. Psychology (मनोविज्ञान)
13. Human Development (मानव विकास)	27. Public Administration (लोक प्रशासन)
14. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)	28. Social Workers (सामाजिक कार्य)
	29. Sociology (समाजशास्त्र)
	30. Women Studies (महिला अध्ययन)
	31. Yoga (योग शिक्षा)



**वीर बहादुर सिंह पूर्वज्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

**C. Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)**

1. Law related courses (विधि संबंधित पाठ्यक्रम)
  - a. Law as one of the three subjects in U.G. programme.
  - b. B.A. L.L.B., B.Sc. L.L.B, B.Com. L.L.B., L.L.B., L.L.M.

**D. Faculty of Science (विज्ञान संकाय)**

1. Applied Microbiology (व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान)	16. Genetics & Genomics (अनुवांशिकी एवं जीनोमिक)
2. Astronomy (खगोल विज्ञान)	17. Industrial Biotechnology (औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
3. Biochemistry (जैव-रसायन विज्ञान)	18. Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायन विज्ञान)
4. Bioinformatics (जैव-सूचना विज्ञान)	19. Industrial Forestry (औद्योगिक वानिकी)
5. Biotechnology (जैव-प्रौद्योगिकी विज्ञान)	20. Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्मजैव विज्ञान)
6. Botany (बनस्पति विज्ञान)	21. Information Technology (सूचना प्रौद्योगिकी)
7. Chemistry (रसायन विज्ञान)	22. Instrumentation (उपकरण विज्ञान)
8. Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)	23. Life Science (जीवन विज्ञान)
9. Computer Science (कम्प्यूटर विज्ञान)	24. Mathematics (गणित)
10. Electronics (इलेक्ट्रॉनिक्स)	25. Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
11. Environmental Science (पर्यावरण विज्ञान)	26. Nanotechnology (सैनो-प्रौद्योगिकी विज्ञान)
12. Food Science & Technology (खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	27. Physics (भौतिक विज्ञान)
13. Forensic Science (फोरेंसिक विज्ञान)	28. Polymer Science & Chemical Technology (बहुलक विज्ञान एवं रसायन प्रौद्योगिकी विज्ञान)
14. Geographic Information System and Remote Sensing (भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूरसंवेदन)	29. Statistics (सांख्यिकी)
15. Geology (भू-गर्भ विज्ञान)	30. Toxicology (विष विज्ञान)
	31. Zoology (जन्तु विज्ञान)

**E. Faculty of Agriculture (कृषि संकाय)**

1. Agriculture (कृषि विज्ञान)	7. Genetics and Plant Breeding (पादप अनुवांशिकी)
2. Agriculture economics	8. Horticulture (उद्यान विज्ञान)
3. Agriculture extension (कृषि विस्तार)	9. Plant Protection (पादप संरक्षण)
4. Agriculture statistics (कृषि सांख्यिकी)	10. Plant Pathology (पादप रोग विज्ञान)
5. Animal husbandry (पशुपालन)	11. Seed Technology (बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान)
6. Forestry (वानिकी)	



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

**F. Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)**

1. Physical Education (शारीरिक शिक्षा) : B.P.Ed., M.P.Ed.
2. Teacher Education (अध्यापक शिक्षा) : B.Ed., M.Ed.

**G. Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)**

1. Commerce (वाणिज्य)	4. Banking and Insurance (बैंकिंग एवं बीमा)
2. Accounting and auditing (लेखा एवं लेखा परीक्षा)	5. Foreign Trade (विदेशी व्यापार)
3. Advertising, Sales Promotion and Sales Management (विज्ञापन, विक्रय प्रोत्साहन एवं बिक्री प्रबंधन)	6. Office Management and Secretarial Assistance (कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवीय सहायता)
	7. Taxation (काराधन)

**H. Faculty of Management (प्रबंधन संकाय)**

1. Business Administration (व्यवसाय प्रबंधन)	6. International Business (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार)
2. Business Economics (व्यापार अर्थशास्त्र)	7. Logistic Managements (रसद प्रबंधन)
3. Finance and Control word (वित्त एवं नियंत्रण)	8. Management Sciences (प्रबंधन विज्ञान)
4. Hospital Administration (अस्पताल प्रशासन)	9. Marketing (विपणन)
5. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)	10. Tourism Management Team (पर्यटन प्रबंधन)
	11. Travel and Hospitality Management (पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन)

**I. Faculty Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय)**

1. Architecture (वास्तुकला)	9. Fine Arts (ललित कला)
2. Choreography	10. Music- Vocal (संगीत-गायन)
3. Dance	11. Music Instrument Sitar (संगीत- सितार)
4. Dance- Bharatanatyam (नृत्य- भरतनाट्यम्)	12. Music Instrument Tabla (संगीत- तबला)
5. Dance- Kathak (नृत्य- कथक)	13. Music (संगीत)
6. Dance - Folk (लोक नृत्य)	14. Performing Art (प्रदर्शन कला)
7. Drawing & Painting (चित्रकारी)	15. Sculpture (भूर्ति कला)
8. Film (चलचित्र)	16. Theatre and Cinema (रंगमंच एवं चलचित्र)
	17. Visual and Studio Art (दृश्य एवं स्टूडियो कला)

*Manjuladevi*



**वीर बहादुर सिंह पूर्वज्ञल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

**J. Faculty of Vocational Studies (व्यवसायिक अध्ययन संकाय)**

NSQF/UGC के दिशा निर्देशानुसार 40 % (General) & 60 % (Skill) व्यवस्था पर आधारित, स्किल पार्टनर के सहयोग से संचालित विषय ही व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आयेंगे।

1. Advertising Sales Promotion and Sales Management	6. Dairy Technology
2. Agribusiness management	7. Foreign Trade Practices and Procedures
3. Airline, Tourism and Hospitality Management	8. Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology
4. Analytical Instrumentation	9. Multimedia, Animation and Graphics
5. Community Sciences (Home Sciences)	10. Nutrition and health care Sciences
	11. Organic farming and Organic products
	12. Principles and Practice of Insurance

**K. Faculty of Rural Science (ग्रामीण विज्ञान संकाय)**

1. Community Development and Extension (सामुदायिक विकास एवं प्रसार)	4. Horticulture- Rural Science (उद्यान विज्ञान- ग्रामीण विज्ञान)
2. Co-operation (सहकारिता)	5. Village Industries (ग्रामीण उद्योग)
3. Agriculture Marketing (कृषि विपणन)	6. Fisheries (मतस्य पालन)
	7. Rural Banking (ग्रामीण बैंकिंग)

उपरोक्तानुसार नवीन संकाय व्यवस्था अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या -1267(1)/सतर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक: 15 जून, 2021 के शासनादेश के अधीन होगा।

**10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें :-**

- ✓ विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं जैसे SWAYAM, MOOCs से यूजी0र्सी/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा 20 प्रतिशत तक क्रैडिट ऑलनाइन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे। UGC के नियमों के अनुसार आनलाइन कोर्स के क्रैडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।
- ✓ ऑनलाइन विषय चयनित करने की यह सुविधा माइनर/इलेक्टिव विषयों पर ही लागू होगी।
- ✓ विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय की सहमति से महाविद्यालयों द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

- ✓ यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा, तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु विद्यार्थी को डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान यह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
  - ✓ विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
  - ✓ अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।
  - ✓ अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।
- (सन्दर्भ - [उ०प्र० उच्च शिक्षा अनुभाग शासनादेशः पत्रक संख्या: 1065/सत्र-3-2021-16(26)/2011], दिनांक: 20.04.2021) विस्तृत विवरण -विन्दु-4.20 (पृष्ठ-3)]

### 11. परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था -

- ✓ सभी विषयों के प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंकपत्र तैयार किये जायेंगे।
- ✓ स्नातक सत्र में बी०ए०, बी०कॉम०, बी०एस-सी०, बी०लिब० एवं विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के क्रम में सत्र 2021-22 से सेमेस्टर पद्धति से ही अनिवार्य रूप में होंगा।
- ✓ सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Assessment) एवं 75 प्रतिशत वाद्य मूल्यांकन (विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के तहत होनेवाली परीक्षा के माध्यम से) के आधार पर की जायेगी।
- ✓ विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में संस्तुत भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं को समरूपता की दृष्टि से संशोधित करते हुए सतत आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित 25 प्रतिशत अंकों का विभाजन इस प्रकार होगा –
  - 5 प्रतिशत अंक छात्र की सापेक्षिक उपस्थिति से सम्बन्धित होंगे।
  - 5 प्रतिशत अंक छात्र को प्रदान किये जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट-प्रेजेंटेशन से सम्बन्धित होंगे।
  - 15 प्रतिशत अंक छात्र के मिड-सेमेस्टर क्लास-टेस्ट से सम्बन्धित होंगे।
- ✓ सतत आन्तरिक मूल्यांकन की यह व्यवस्था कृषि एवं विधि संकाय के विषयों पर लागू नहीं होगी। तदसम्बन्ध में संबन्धित नियामक नियामक द्वारा संस्तुत व्यवस्था मान्य होगी।
- ✓ आतंरिक सतत् मूल्यांकन उसी शिक्षक के द्वारा किया जायेगा, जो उस सत्र में उस प्रश्न-पत्र का अध्यापन करा रहा है। ध्यान रहे कि जिस शिक्षक ने किसी प्रश्न-पत्र का अध्यापन नहीं किया है, तो वह उस प्रश्नपत्र का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन नहीं कर सकता है।
- ✓ सभी विषयों की लिखित परीक्षाएं होंगी, जबकि अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा बहु-विकल्पीय आधार पर होगी।
- ✓ अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।



## वीर बहादुर सिंह पूर्वज्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

- ✓ सह-पाठ्यक्रम विषय की परीक्षा मात्र Qualifying प्रकार की होगी, इसके अतिरिक्त स्नातक पाठ्यक्रम में चतुर्थ वर्ष में लघु शोध परियोजना भी Qualifying प्रकार की होगी।
- ✓ स्नातक पाठ्यक्रमों में पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा।  
(सन्दर्भ - [उत्तर प्रदेश शिक्षा अनुभाग शासनादेश: पत्रांक संख्या: 1065/सतर-3-2021-16(26)/2011), दिनांक: 20.04.2021] विस्तृत विवरण - बिन्दु-5 (पृष्ठ-4)]

### 12. उपस्थिति का निर्धारण :

- ✓ परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- ✓ यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में (आवश्यक परीक्षा शुल्क देकर) पूर्व छात्र के रूप में अर्हित परीक्षा दे सकता है, उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

### 13. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण : उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रबंधन एवं कृषि संकायों पर लागू होंगी। तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान देना होगा :-

- ✓ क्रेडिट बेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- ✓ स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 क्रेडिट संचित के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है। (सन्दर्भ - संलग्नक-1)
- ✓ द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा। (सन्दर्भ - संलग्नक-1)
- ✓ तृतीय वर्ष तक 132 क्रेडिट संचित के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में स्नातक की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- ✓ विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्वि-वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रि-वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।
- ✓ एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है, तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46 + 46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है, तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर त्रि-वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।

*Mayank*



## वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

- ✓ तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।
- ✓ तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में अधिकतम छ: वर्ष तक पुनः प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की व्यवस्था होगी। अधिकतम अवधि समाप्त होने पर किसी भी अवस्था में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- ✓ यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- ✓ द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट स्टाफिकेट की श्रेणी में आयेगे, न कि डिप्लोमा क्रयोंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- ✓ यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐज्यूकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के पूर्व निर्धारित आवश्यक शर्तें (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- ✓ यदि कोई योग्य छात्र स्टाफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुनीष हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः स्टाफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

### 14. ग्रेडिंग प्रणाली :-

- ✓ समस्त विषयों में यूनिफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध UGC GUIDELINES ON ADAPTATION OF CHOICE BASED CREDIT SYSTEM द्वारा प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप लागू होगी।
- ✓ सैद्धांतिक विषयों हेतु एक क्रेडिट एक घटे के अध्यापन के बराबर होगा, जबकि प्रायोगिक विषयों हेतु एक क्रेडिट दो घटे के अध्यापन के बराबर होगा।
- ✓ मुख्य एवं गौण विषयों के प्रश्न-पत्र प्रति सेमेस्टर 4/5/6 क्रेडिट के होंगे, जबकि व्यावसायिक विषयों के प्रश्न-पत्र प्रति सेमेस्टर 3 क्रेडिट के होंगे। सह-पाठ्यक्रमों एवं शोध परियोजना में कोई क्रेडिट नहीं होगा।
- ✓ 6 क्रेडिट के प्रश्न-पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 90 घटे की होगी। इसी प्रकार 5 क्रेडिट के प्रश्न-पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 75 घटे, 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 60 घटे, 3 क्रेडिट के प्रश्न-पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 45 घटे तथा 2 क्रेडिट के प्रश्न-पत्र की कक्षाएँ सत्र में न्यूनतम 30 घटे की होगी।
- ✓ स्नातक पाठ्यक्रमों में मूल्यांकन हेतु 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी, जो निम्नवत है :-

लेटर ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	विवरण	अंकों की सीमा
O	10	Outstanding	90-100
A <sup>+</sup>	9	Excellent	80-89
A	8	Very good	70-79
B <sup>+</sup>	7	Good	60-69
B	6	Above Average	50-59
C	5	Average	40-49
P	4	Pass	35-39
F	0	Fail	0-34
AB	0	Absent	Absent



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

- SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्र के तहत जाएगी :

$SGPA (S_i) = \sum (C_i \times G_i) / \sum C_i$	यहाँ पर :  $C_i$ = the number of credits of the $n$ th course in a semester $G_i$ = the grade point scored by the student in the $n$ th course.
$CGPA = \sum (C_i \times S_i) / \sum C_i$	$S_i$ = $S_i$ is the SGPA of the $n$ th semester $C_i$ = the total number of credits in the $n$ th semester.

- CGPS को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = \text{CGPA} \times 10$$

- विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
विशिष्टता के साथ प्रथम श्रेणी	8.00 अथवा उससे अधिक CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
प्रथम श्रेणी	6.50 से अधिक तथा 8.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
द्वितीय श्रेणी	5.00 से अधिक तथा 6.50 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।
उत्तीर्ण श्रेणी	4.00 से अधिक तथा 5.00 से कम CGPA प्राप्त अभ्यर्थी को।

15. विश्वविद्यालय भविष्य में उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता है। विश्वविद्यालय उपर्युक्त किसी भी विन्दु को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

कुलसचिव

Manjulandy



**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर**  
**(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)**

**New Proposed Year-wise Structure of UG/PG Programs**

Year	Sem	Subject I		Subject II		Subject III		Subject IV		Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/Survey Project	Credits	(Min.-Max Total Credits) After completion (Minimum Credits) (Max Duration in years)
		Major 4/5 Credits	Major 4/5 Credits	Major 4/5 Credits	Minor Elective 4/5/6 Credits	Minor 3 Credits	Minor 2 Credits	Major 3/6 Credits						
		Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Other Faculty	Vocational Faculty	Co-Curricular Course	Faculty related to main Subject						
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		18+(0/4/5/6)=3+2	23-29	(50-52) (46) (47)	Certificate in Faculty		
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1		18+(0/4/5/6)=3+2	23-29				
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		18+(0/4/5/6)=3+2	23-29	(100-104) (92) (7)	Diploma in Faculty		
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1		18+(0/4/5/6)=3+2	23-29				
3	V	Th-1(5) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(5) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (4/5/6)		1	1 (3)	20+3+2	25	(150-154) (138) (10)	Bachelor in Faculty		
	VI	Th-1(5) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(5) or Th-1(4)+ Pract-1(2)				1	1 (3)	20+3+2	25				
4	VII	Th-4(7) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (6)	20-(0/4/5/6)=6	26-32	(206-212) (194) (12)	Bachelor (Research) in Faculty		
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20-(0/4/5/6)=6	26-32				
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20-6	26	(258-264) (246) (16)	Master in Faculty		
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (6)	20-6	26				
6	XI	2 (6)	1 Research Methodology					1 (3)	16+8		(370) (4)	PGDR in Subject		
6.7.8	XII-XVI							Ph.D. Research				Ph.D. in Subject		

**Notes:** (a) 1, 2 & 5 (in blue ink) are the number of courses/papers in that semester of that subject. (b) Credits are given in (in red ink). (c) A student willing to take admission to the first year of Higher Education program after 12<sup>th</sup> class, will have to choose a Faculty with two main (Major) subjects for first year. Eligibility to such choice will have pre-requisites. Apart from two major subject (s) he has to choose in each semester one more (Major) subject of any faculty, one minor/ elective course of other faculty, one vocational course of his choice and one compulsory co-curricular course.

  
**कुलसंचिव**